महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

कार्यवृत्त

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की

बारहवीं बैठक

दिनांक: 24 अक्टूबर 2019 समय : 03.30 बजे

स्थान : सभाकक्ष, भाषा विद्यापीठ

विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की बारहवीं बैठक

(24 अक्टूबर 2019)

स्थान – सभाकक्ष, भाषा विद्यापीठ

कार्यसूची

अनुक्रमणिका

मद संख्या	विवरण
1	आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि एवं अनुमोदन।
2	आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की दसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही।
3	आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की कार्ययोजना
4	विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कर्मियों के Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार।
5	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव/विषय।

मद संख्या 01.-- आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि हेतु अवलोकनार्थ।

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की ग्यारहवीं बैठक माननीय कुलपति महोदय प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में दिनांक 27 जून 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभाकक्ष मे संपन्न हुई थी जिसके कार्यवृत्त की प्रति सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी। उस पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त कार्यवृत्त की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

मद संख्या 02.-- आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की ग्यारहवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही।

मद संख्या	ग्यारहवीं बैठक में लिये गये निर्णय	की गयी कार्यवाही
04	इस संबंध में सहायक कुलसचिव (स्थापना) ने प्रकोष्ठ को सूचना दी कि CAS के मामले अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे।	इस संबंध में कुलसचिव को पत्र भेजा गया।
05	एक Concept Note बनाया जाना चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को Mentoring की बजाय Counseling की अधिक जरूरत है।	डॉ. ऋषभ कुमार मिश्र को पत्र भेजा गया।
06	1. विभागों में प्रत्येक संकाय सदस्य साप्ताहिक योजना (Weekly Plan) बनाएगा जिसमें यह जानकारी देगा कि वह एक सप्ताह में क्या पढ़ायेगा और सप्ताह के अंत में यह समीक्षा करके एक समीक्षा रिपोर्ट देगा। इस साप्ताहिक योजना की जानकारी विभाग के नोटिस बोर्ड पर लगायी जाए। 2. प्रत्येक विभाग सामूहिक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सिर्फ Funding का मामला नहीं है। इसके प्रभाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए तब ही उसके महत्व का आंकलन हो सकेगा। 3. विभागों में शोधार्थियों के शोध विषयों की स्थिति और गुणवत्ता के आंकलन या मूल्यांकन के लिए किसी समिति या प्रकोष्ठ का होना आवश्यक है क्योंकि बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक के बाद शोध के मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं दिखती है। शोध के विषयों की दिशा और क्षेत्रों में भी एकरूपता होनी चाहिए। 4. विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के संचालन को ध्यान में रखते हुए एक Master Time Table की आवश्यकता है। ताकि सभी विभागों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों को उसमें समायोजित किया जा सके। समय–सारणी में कक्ष संख्या का उल्लेख अवश्य होना चाहिए और जिस कक्ष में अध्यापन निर्धारित किया गया है कक्षा उसमें ही संचालित की जाए। 5. अकादमिक गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए विद्या परिषद और कार्य परिषद के निर्णयों का पालन किया जाएगा। जिस किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या पाँच से कम होगी उस पाठ्यक्रम को स्थगित/समाप्त कर दिया जाएगा।	इस संबंध में कुलसचिव को पत्र भेजा गया।

09	1. विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और प्रकाशन विभाग को आपसी तालमेल से इस संबंध में काम करना चाहिए। 2. संकाय सदस्यों को स्वेच्छा से अपने व्याख्यान रिकार्ड करवाने चाहिए ताकि उसे पाठ्य–सामग्री के रूप में चुनकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। प्रत्येक विभाग के सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी (Topper) की उत्तरपुस्तिका विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखवायी जा सकती है।	इस संबंध में कुलसचिव को पत्र भेजा गया।

निर्णय : सभा ने की गई कार्यवाही (Action taken) का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए:

- **11वीं बैठक की मद संख्या 04 के अनुपालन में प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनः संशोधित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। इस कार्य हेतु डॉ.शिरीषपाल सिंह और डॉ.ऋषभ कुमार मिश्र को नामित किया गया। यह प्रस्तावित रूपरेखा "परामर्श" को केंद्र में रखकर तैयार की जानी है।**
- **दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को गालिब सभागार में आयोजित "परीक्षा पर्व" जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।**
- **11वीं बैठक की मद संख्या 06 के उपबिंदु 03 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य विभागीय स्तर पर क्रियान्वित किए जाने हैं :**
  - **विभाग अपने शैक्षणिक सदस्यों की विशेषज्ञता के आधार पर शोध के मुख्य क्षेत्रों (Thrust Areas)को निर्धारित करेंगे।**
  - **विभागीय स्तर पर शोध संबंधी परामर्श एवं योजना (Advisory and Planning)की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।**
  - **शोध के लिए सहायक व्यवस्था (Support System) विकसित की जाए।**
- **11वीं बैठक की मद संख्या 06 के उपबिंदु 05 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिनियम के अंतर्गत (According to mandate of Act)जो विषय आते हैं, उन्हें इस निर्णय से पृथक माना जाएगा।**
- **11वीं बैठक की मद संख्या 09 के उपबिंदु 02 के अंतर्गत सभी संकाय सदस्य अपनी विशेषज्ञता अनुसार व्याख्यान रिकॉर्ड करवाने हेतु अपनी तिथि विभागाध्यक्ष : जनसंचार विभाग को उपलब्ध कराएंगे।**
- **सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाएं इस सत्र (दिसम्बर 2019) के परिणाम पश्चात पुस्तकालय में रखवाई जाए।**

मद संख्या 03– आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की कार्ययोजना।

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना का विवरणानुसार है–

1– वर्ष 2019–20 में विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए कार्यशाला का आयोजन।
2– वर्ष 2019–20 में गैर–शैक्षणिक कर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन।
3– वर्ष 2018–19 के लिए अकादमिक ऑडिट।
4– वर्ष 2018–19 का AQAR ऑनलाइन अपलोड किया जाना।

निर्णय : कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई।

मद संख्या 04 – विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कर्मियों के Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार।

प्रारंभिक जाँच समिति ने विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शैक्षणिक कर्मियों के आवेदन Career Advancement Scheme (CAS) की जाँच कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है –

1. डॉ. मनोज कुमार राय, सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
2. डॉ. धूपनाथ प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
3. डॉ. एच.ए. हुनगुंद, सहायक प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
4. डॉ. रामानुज अस्थाना, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
5. डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
6. डॉ. राकेश कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
7. डॉ. धरवेश कठेरिया, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
8. डॉ. अख्तर आलम, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
9. डॉ. रेणु सिंह, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
10. डॉ. वीरेन्द्र प्रताप यादव, सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग
11. डॉ. निशीथ राय, सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग
12. डॉ. बीर पाल सिंह, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
13. डॉ. रूपेश कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
14. डॉ. गोपालकृष्ण ठाकुर, एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
15. डॉ. शिरीषपाल सिंह, एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
16. डॉ. उमेशकुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
17. श्री शरद जायसवाल, सहायक प्रोफेसर, स्त्री अध्ययन विभाग

निर्णय : सहायक कुलसचिव(स्थापना) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु कहा गया। शेष प्रकरण अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 05– अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव/विषय।

अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

- **प्रत्येक विभाग/केंद्र/प्रकोष्ठ द्वारा अपने विभाग/केंद्र/प्रकोष्ठ में आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट(छायाचित्रों सहित soft and hardcopy) आईक्यूएसी कार्यालय में भेजी जाए।**
- **आईक्यूएसी की अगली बैठक 18 नवंबर 2019 को प्रातः 11:00 बजे रखी जाए।**

निदेशक

कुलपति

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा